रजिस्ट्री स. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 512] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 25, 1985/कार्तिक 3, 1907
No 512] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 1985/KARTIKA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1985

अधिसूचना

का. आ. 782(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर सभी पूर्व अधिसूचनाओं को, जहां तक उनका संबंध आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों से है, अतिष्ठित करते

हुए, उपरोक्त राज्यों की सरकारों की सहमति से, निम्नलिखित के अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्य, अर्थात् :—

(1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कृत्य, सिवाए उन कृत्यों के जो उक्त अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य है, और

(2) पूर्वोक्त राज्यों में संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, भूमि अर्जन (कम्पनी) नियम, 1963 के अधीन कृत्य, पूर्वोक्त राज्यों की सरकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सौंपते हैं, अर्थात् :—

(क) संबंधित राज्यों की सरकारें ऐसे कृत्य करने में ऐसे साधारण और विशेष अनुदेशों का अनुपालन करेंगी जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर जारी करे; और

(ख) कृत्यों के इस प्रकार सौंपे जाने पर भी केन्द्रीय सरकार, यदि वह किसी मामले में ऐसा करना ठीक समझती है तो, उक्त कृत्यों में से किसी को स्वयं कर सकती है ।

[फाइल सं. 12011/32/17/84-एल.आर.डी.]

जी. अष्वत्थनारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

(Deptt. of Rural Development)

New Delhi, the 25th October, 1985

NOTIFICATION

S.O. 782(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution of India and of all other powers enabling him in this behalf and in supercession of all previous notifications on the subject in so far as they relate to the States of Andhra Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Meghalaya, Orissa, Tamil Nadu, Tripura, and West Bengal, the President, hereby entrusts to the

Government of the aforesaid States, with their consent, the functions of the Central Government under:—

(i) the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), except the functions exercisable by the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 55 of the said Act; and

(ii) the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963, in relation to the acquisition of land for the purposes of the Union in these States subject to the following conditions, namely:—

(a) that in the exercise of such functions, the respective Governments shall comply with such general and special directions as the Central government may, from time to time, issue; and

(b) that, notwithstanding the entrustment, the Central Government may itself exercise any of the said functions should it deem fit to do so in any case.

[File No. 12011/32/17/84-LRD]

G. ASVATHANARAYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985